



राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

दूरभाष संख्या- 0141-2201061

क्रमांक- एफ.1(ए)323/संस्था/बीमा/2019/ 5702-50 दिनांक : 7-8-2019

समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त / अतिरिक्त /
संयुक्त / उपनिदेशक / सहायक निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय / संभाग / साबीयो / जिला कार्यालय।

विषय:- कार्मिकों द्वारा पासपोर्ट आवेदन किये जाने से पूर्व विभाग द्वारा जारी
किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि Government of India, Ministry of External
Affairs द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.05.2015 एवं 23.12.2016 के अनुसार कार्मिकों द्वारा पासपोर्ट
आवेदन किये जाने से पूर्व निम्न में से कोई एक विकल्प (दो प्रतियों) का प्रयोग किया जा सकता है:-

1. विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (Annexure-G) या
2. विभाग को पूर्व सूचना देना (Annexure-H) या
3. विभाग द्वारा जारी पहचान-प्रमाण पत्र (Annexure-A)

उक्त अधिसूचना की पालना हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि
कार्मिकों द्वारा पासपोर्ट आवेदन किये जाने से पूर्व उपर्युक्त में से कोई एक प्रपत्र पूर्ण विवरण नाम, पता,
रहवास इत्यादि सहित अंग्रेजी में साफ एवं सही अक्षरों में अभिशंषा सहित मुख्यालय को भिजवाया जावे।

कृपया, आप अपने स्तर पर पासपोर्ट हेतु NOC जारी नहीं करें।

संलग्न- Annexure-G

(के.एम.हूडिया)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक:-एफ.1(ए)323/संस्था/बीमा/2019/ 5751
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

दिनांक 7-8-2019

1. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को
विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावे।
2. संबंधित कार्मिकगण।
3. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड मुख्यालय।

(रामपाल परसोया)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)




Government of Rajasthan
Directorate, State Insurance and GPF Department, Rajasthan, Jaipur

ANNEXURE 'G'

MINISTRY/DEPARTMENT/OFFICE OF

No..... dated.....



(No Objection Certificate issuing officer should attest the photograph of the applicant with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.)

NO-OBJECTION CERTIFICATE

Shri/Smt/Missson/daughter/wife of
who is an Indian national, is employed in this office asfrom
.....Till date. This Ministry/Department/Office has no objection to
his/her obtaining a passport.

(Signature of Controlling/Administrative authority)

Telephone/Fax/email.....

Note:-

- (a) The officer authorized to issue NOC should sign with name and stamp and must provide contact details for verification by passport Authority.
- (b) NOC will be valid for six months from date of issue.